

प्रेषक,

रोहित नन्दन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1 समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।
- 2 समस्त मुख्य विकास अधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7

लखनऊ: दिनांक :28 नवम्बर ,2008

विषय:- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत शेड्यूल ऑफ रेट्स के निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अनुसूची-1 के प्रस्तर-7 में यह प्राविधानित किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य रोजगार गारन्टी परिषद के साथ विचार-विमर्श कर योजनान्तर्गत किये जाने वाले कार्यों के विषय में दर निर्धारण किया जा सकता है। प्रस्तर-8 में यह प्राविधानित किया गया है कि आकुशल श्रमिकों को भुगतान किये जाने वाले मजदूरी की दर का निर्धारण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि मजदूर द्वारा सामान्यतः 07 घण्टे में जो कार्य किया जा सके, उसके सापेक्ष मजदूरी का भुगतान निर्धारित किया जाय।

2- राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-2555/ 38-7-08-10-एन0आर0ई0 जी0ए0/2005 दिनांक 23 अक्टूबर, 2008 के प्रस्तर-9.2 में यह प्राविधानित किया गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत कार्यों के मानक व दर एवं सूची को निर्धारित करने की शक्ति ग्राम्य विकास विभाग को प्रतिनिधानित किया गया है।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों के लिये प्रथक से शेड्यूल ऑफ रेट्स (एस0ओ0आर0) निर्गत किया जा रहा है(संलग्नक-1)। जिन मदों का उल्लेख नरेगा शेड्यूल ऑफ रेट्स (एस0ओ0आर0) में नहीं हैं, उनके सम्बन्ध में विभागीय (लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं वन विभाग) की प्रचलित दरें प्रभावी होंगी।

कृपया उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(रोहित नन्दन)
रोहित नन्दन

संख्या- 2706 (1)/38-7-2008 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 3 गार्ड बुक।

आज्ञा से,



(आर० पी० सिंह)
अनु सचिव।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना: उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत कार्यों के लिए
दर अनुसूची

अधिसूचना संख्या 2555/38-7-08-10-एनआरईजीए/2005 दिनांक 23-10-2008
द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र० द्वारा जारी

क्र०सं०	कार्य की मद	एनआरईजीएस ग्राम्य विकास की दरें (रु० में)	न्यूनतम मजदूरी रु० 100/- हेतु निष्पादित कार्य
1	2	3	4
	न्यूनतम मजदूरी	100	
2	साधारण मिट्टी में तालाब खोदने हेतु निष्पादित कार्य	2.00 घ०मी०	2.00 घ०मी०
3	झाड़ी सफाई (क) हल्की झाड़ी (ख) मध्यम/घनी झाड़ी	1.5 प्रति व०मी० 2.0 प्रति व०मी०	66 व०मी० (11मी०X6मी०) 50 व०मी० (10मी०X5मी०)
4	साधारण मिट्टी में मिट्टी खुदाई का कार्य (क) सड़क, राकीफल, डैम एवं तालाब से मिट्टी निकालना (ख) समोच्च बन्धी हेतु मिट्टी खुदाई कार्य (ग) मिट्टी के ढेलों को तोड़ना तथा समोच्च बन्धी के लिए बराबर (ड्रेसिंग) करना (घ) खेत तालाब (च) वृक्षारोपण हेतु गद्दे- 0.9X0.9 X0.9 मी० साइज के गद्दे 0.6X0.6 X0.6 मी० साइज के गद्दे 0.45X0.45 X0.45 मी० साइज के गद्दे 0.30X0.30 X0.30 मी० साइज के गद्दे (छ) अन्य कार्य	47.0 प्रति घ०मी० 35.0 प्रति घ०मी० 12.0 प्रति घ०मी० 66.0 प्रति घ०मी० 68.0 प्रति घ०मी० 63.0 प्रति घ०मी० 60.0 प्रति घ०मी० 60.0 प्रति घ०मी०	2.12 घ०मी० 2.85 घ०मी० 8.33 घ०मी० 1.51 घ०मी० 1.47 घ०मी० (2.01 गद्दे) 1.47 घ०मी० (6.8 गद्दे) 1.66 घ०मी० (18.21 गद्दे) 1.66 घ०मी० (61.48 गद्दे)
5	सख्त मिट्टी में मिट्टी खुदाई कार्य (बुन्देलखण्ड एवं मिर्जापुर क्षेत्र) (क) रोड, राकफिल डैम एवं तालाब से मिट्टी निकालना (ख) समोच्च बन्धी हेतु मिट्टी खुदाई कार्य (ग) मिट्टी के ढेलों को तोड़ना तथा समोच्च बन्धी के लिए बराबर (ड्रेसिंग) करना (घ) खेत तालाब (च) वृक्षारोपण हेतु गद्दे 0.9X0.9 X0.9 मी० साइज के गद्दे 0.6X0.6 X0.6 मी० साइज के गद्दे 0.45X0.45 X0.45 मी० साइज के गद्दे 0.30X0.30 X0.30 मी० साइज के गद्दे (छ) अन्य कार्य	58.0 प्रतिघ०मी० 44.0 प्रति घ०मी० 14.0 प्रति घ०मी० 86.0 प्रति घ०मी० 77.0 प्रति घ०मी० 77.0 प्रति घ०मी० 63.0 प्रति घ०मी० 63.0 प्रति घ०मी०	1.72 घ०मी० 2.27 घ०मी० 7.14 घ०मी० 1.16 घ०मी० 1.29 घ०मी० (1.76 गद्दे) 1.29 घ०मी० (5.96 गद्दे) 1.47 घ०मी० (16.15 गद्दे) 1.47 घ०मी० (54.44 गद्दे)



6	सामट डिस्ट्रिब्यूटेड राक स्वायल में खुदाई कार्य (क) खेत तालाब (ख) अन्य सभी कार्य	100.00 प्रति घ0मी0 90.00 प्रति घ0मी0	1.00 घ0मी0 1.10 घ0मी0
7	स्टोन वर्क (क) स्टोन टैरेसिंग पकिंग के लिए मजदूरी (ख) खेत तालाब पर स्टोन पीचिंग (ग) मिनी परकोलेशन टैंक पर पीचिंग (घ) राकफिल डैम, स्टोन चैक्स तथा आउटलेट्स	60.00 प्रति घ0मी0 135.00 प्रति घ0मी0 135.00 प्रति घ0मी0 60.00 प्रति घ0मी0	1.66 घ0मी0 0.74 घ0मी0 0.74 घ0मी0 1.66 घ0मी0
8	सामग्री चढ़ाई एवं उतराई (क) 225 मी0मी0 एवं 300 मी0मी0 स्टोन क्वारी पर कलेक्शन सहित (ख) बालू (ग) ईट (घ) सीमेण्ट (क) पौधे	40.00 प्रति घ0मी0 80.00 प्रति ट्रैक्टर लोड 100.00 प्रति ट्रैक्टर लोड 2.00 प्रति बोरी 200.00 प्रति हजार	2.5 घ0मी0 1.25 ट्रैक्टर लोड 1.0 ट्रैक्टर लोड 50 बोरी 500 पौधे
9.	वृक्षारोपण कार्य (क) सर्वेक्षण एवं चिन्हांकन (ख) गड्ढों का रेखांकन, ट्रेंच एवं सी0पी0टी0 (ग) कार्यस्थल तक ढुलाई (घ) छोटे पौधों को कार्य स्थल से रोपण स्थल तक पहुंचाने की ढुलाई (च) बड़े पौधों का रोपण स्थल तक पहुंचाने की ढुलाई (छ) गड्ढों में पौधे लगाने व रीफिलिंग का कार्य 0.30X0.30 X0.30 मी0 0.45X0.45 X0.45 मी0 0.60X0.60 X0.60 मी0 1X1 X1 मी0	13.00 प्रति 500 पौधे 20. प्रति सैंकड़ा पौधे 20 प्रति सैंकड़ा पौधे 20.00 प्रति सैंकड़ा पौधे 36 प्रति सैंकड़ा पौधे 0.50 प्रति पौधे 1.50 प्रति पौधे 3.0 प्रति पौधे 5.0 प्रति पौधे	3846 पौधे 500 पौधे 500 पौधे 500 पौधे 278 पौधे 200 पौधे 67 पौधे 34 पौधे 20 पौधे
10.	मिट्टी कार्य व बीडिंग (1.0 मी0 व्यास एवं 0.1 मी0 गहराई) (क) एवेन्यू रोपण (ख) उद्यानीकरण	5.0 प्रति पौधा 5.0 प्रति पौधा	20 पौधे 20 पौधे
11	मिट्टी कार्य व बीडिंग (0.5 मी0 व्यास एवं 0.1 मी0 गहराई) (क) सहमूह उद्यानीकरण/वृक्षारोपण (ख) बायो डीजल पौध रोपण एवं अन्य रोपण	1.5 प्रति पौधा 1.5 प्रति पौधा	67 पौधे 67 पौधे
12	आकस्मिक पुनरोपण कार्य (क) एवेन्यू उद्यानीकरण एवम् समूज रोपण हेतु गड्ढों को पुनः खालेना (ख) बैरन हिल वनीकरण एवं बायोडीजल पौध रोपण	5.1 प्रति पौधा 2.5 प्रति पौधा	20 पौधा 40 पौधा

13	प्रत्येक पौधे की देख-रेख, मिट्टी कार्य एवं बाड़ों की मरम्मत (ग्राम सभा की अनुसूचित जाति व जन जाति/बी०पी०एल० पट्टेदार की भूमि पर लगाये गये पौधरोपण सहित)	100.00 प्रति दिन	एक दिन
14	बैरन हिल पर वनीकरण हेतु बायो फंसिंग/स्टोन फेसिंग कार्य (क) नर्सरी/समूह रोपण कार्य (पौधो के कलेक्शन, ढुलाई एवं स्थल पर लगाने सहित) (ख) एवेन्यू पौधरोपण (1 मी० व्यास एवं 1.5 मी० ऊँचाई की साइज के हयूम पाईप के स्थल पर ढुलाई सहित) (ग) अनुसूचित जाति/ जन जाति/बी०पी०एल०/पट्टेदार की भूमि पर उद्यानीकरण (घ) अनुसूचित जाति/ जन जाति/बी०पी०एल०/पट्टेदार की भूमि पर किए गए उद्यानीकरण के फेसिंग के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के लिए अनुरक्षण कार्य	10.00 प्रति रनिंग मी० 37.85 प्रति सख्या 1000 प्रति एकड़ 250 प्रति एकड़	10 रनिंग 2.64
15	गहरी जुताई— (क) फालो लैण्ड एवं हाई ग्रवेल स्वायल (0.3 मी० से कम गहरी नहीं)के लिए ट्रैक्टर प्रयुक्त करना। (ख) फालो लैण्ड (साधारण मिट्टी) (0.3 मी० से कम गहरी नहीं) के लिए ट्रैक्टर प्रयुक्त करना (ग) साधारण मिट्टी में कैटिल कल्टीवेटर (दोहरी जुताई)	1000.00 प्रति एकड़ 800.00 प्रति एकड़ 600.00 प्रति एकड़	1/10 1/8 1/6
16	ड्राइवर सहित ट्रैक्टर से सभी सामानों की ढुलाई का किराया (8 घंटो के लिए)	750.0 प्रति दिन	
17	एक एकड़ में एक गद्दा बनाकर उससे ब्लाक प्लान्टेशन में सिंचाई	0.71 प्रति पौधा	140
18	पौधों की हैण्ड पम्प /बोरवेल/ओपेनवेल से सिंचाई 30 मी० की दूरी तक	0.71 प्रति पौधा	140
19	ब्लाक प्लान्टेशन की हैण्ड पम्प/बोरवेल/ओपेन वेल/गद्दों से सिंचाई 30 मीटर से अधिक दूरी तक	1.00 प्रति पौधा	100
20	गद्दा भरने हेतु वाटर टैंकर सहित ट्रैक्टर का भाड़ा	250 प्रति चक्कर (5000 ली० क्षमता का टैंकर)	
21	गद्दा खोदने के लिए (1.25 मी० व्यास, 25 से०मी० ऊँची व 5 से०मी० मोटाई के लिए 5 रिंग, 1:4 अनुपात के सीमेण्ट मसाने में तथा 4 मिमी० मेटिल सहित)	1400 प्रति गद्दा	



22	खेत में ट्रैक्टर द्वारा सिल्ट छिड़कना	9.75 प्रति घ०मी०	10.25 घ०मी०
23	टोकरी द्वारा मिट्टी/बजरी की दुलाई लीड व लिफ्ट सहित (क) 10 मी० की प्रारम्भिक लीड के अतिरिक्त अन्य 10 मी० तक (ख) 2.0 मी० की प्रारम्भिक लिफ्ट के अतिरिक्त अन्य 1.00 मी० तक	— 10 प्रति घ०मी० 10 प्रति घ०मी०	10 प्रति घ०मी० 10 प्रति घ०मी०

